

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक 16.02.2021

शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही—

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल-20 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

04 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार—

पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में चलाये जा रहे वारंटियों की गिरफ्तारी के अभियान में जनपद गोण्डा के थानों द्वारा 04 वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही—:

01. थाना नवाबगंज द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. अनिल कुमार पासवान पुत्र शिव वरदान नि० तुरकौली थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 25 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-51/21, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

02. थाना तरबगंज द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. अशोक कुमार तिवारी पुत्र अवधेश कुमार नि० नरायनपुर थाना तरबगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-49/21, 02. दुःखहरन चौहान पुत्र स्व० रामलखन नि० बैरागीपुरवा थाना तरबगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-50/21, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

03. थाना उमरीबेगमगंज द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. रिकू पुत्र समई नि० जयपुर थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-19/21, आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

04. थाना परसपुर द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. देवचन्द्र कोरी पुत्र स्व० भवानी सरन नि० ग्राम धोबही गजसिंहपुर थाना परसपुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-27/21, 02. रामचन्द्र पाल पुत्र स्व० ठाकुर प्रसाद नि० मनोहर पुरवा गजसिंहपुर थाना परसपुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-28/21, आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।